

माननीय न्यायमूर्ति के. कन्नन के समक्ष

मनमीत सिंह – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य – प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी संख्या 26734 वर्ष 2014

23 फरवरी, 2015

भारतीय संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 – भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 300, 302 – ऑनर किलिंग – विशेष जांच दल (SIT) का गठन – याचिकाकर्ता ने अंतर-जातीय विवाह किया – याचिकाकर्ता की पत्नी का अपहरण किया गया – याचिकाकर्ता ने पुलिस से शिकायत की और ग्यारह नामों को मुख्य संदिग्ध के रूप में सूचीबद्ध किया – कोई कार्रवाई नहीं की गई – महिला की हत्या कर दी गई – अब एक मामला दर्ज किया गया – ग्यारह व्यक्तियों में से पाँच के खिलाफ चालान दिया गया – पुलिस ने बताया कि बाकी छह व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आपराधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। – याचिकाकर्ता ने मांग की कि जांच को एसएसपी रैंक के जिम्मेदार और वरिष्ठ अधिकारी के हाथ में सौंपा जाए क्योंकि यह मामला ऑनर किलिंग से संबंधित था। – यह अभिनिर्धारित किया गया कि अंतर-जातीय विवाहों का समर्थन कम से कम कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से तो अवश्य मिलना चाहिए – पूरी जांच को अधिक उद्देश्य और दिशा प्रदान करने के लिए, डीजीपी को एसएसपी के साथ एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करने का निर्देश दिया गया क्योंकि प्रारम्भिक ढिलाई के चलते एक कीमती जीवन का नुकसान हुआ है – अगर जांच एक उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी द्वारा संचालित होती है तो जनता का विश्वास बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है।

निर्धारित किया गया कि समाज का सुव्यवस्थित परिवर्तन केवल कानून के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि कानून सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है जो सामाजिक मान्यताओं को आकार और दिशा प्रदान करता है। यदि 'ऑनर किलिंग' के लिए कठोर सजाएँ भी उन्हें रोक नहीं पाई हैं, यदि न्यायिक प्रक्रियाओं ने भी उनकी घटनाओं को कम नहीं किया है और पुलिस केवल मौन दर्शक बनी रहती है, या फिर सक्रिय रूप से सहयोगी नहीं बनती, तो हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ हम इन 'ऑनर किलिंग' को अनिवार्य और अत्यंत लज्जाजनक तथा घिनौनी घटनाएँ मानने लगेंगे। समाज को यह समझना चाहिए कि यदि हम एक वयस्क की इस स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर सकते कि वह अपने साथी को चुन सके, चाहे विवाह के साथ हो या बिना, तो हमारे नीति निर्माताओं द्वारा सुरक्षित की गई सभी आर्थिक प्रगति और विकासात्मक लक्ष्यों को कचरे में डाल दिया जाएगा। मानव के रूप में हमारा विकास क्रमिक रहा है और ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कोई भी जाति या समुदाय दूसरे से श्रेष्ठ है। किसी व्यक्ति को जन्म स्थान, रंग, भाषा या धर्म के आधार पर हीन नहीं समझा जा सकता।

(पैरा 8)

आगे यह निर्धारित किया गया कि कानून का विकास उन मौजूदा प्रथाओं को मान्यता देने का काम करता है जो सामाजिक रूप से परंपरा के रूप में स्वीकार्य होती हैं और इस तरह से ये प्रथाएँ स्वयं कानून के स्रोत बन जाती हैं। परिणामस्वरूप, इन प्रथाओं को विधायी प्रावधानों के माध्यम से सुदृढीकरण द्वारा वैधानिक अनुमोदन प्राप्त होता है। उत्तराधिकार, संरक्षण, गोद लेने आदि के कानून कुछ परंपरागत प्रथाएँ हैं जिन्हें कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। हालांकि, सभी परंपराओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। जब भी हमने पाया कि परंपराएँ सामाजिक उन्नति के मार्ग में बाधा बन रही हैं, हमने जानबूझकर उनसे विचलन किया है। उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पैतृक संपत्ति के संबंध में भी महिलाओं को समान अधिकारों की प्रदान की, पारस्परिक सहमति से तलाक की अनुमति, हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय तलाक अधिनियम में

संशोधन करके, या बाल न्याय अधिनियम के अनुसार मुस्लिम और ईसाइयों के लिए गोद लेने के प्रावधानों को लागू करना - ये सभी विधायी क्रियाएँ हैं जिन्होंने उन पुरानी परंपराओं से नई दिशा में कदम बढ़ाए हैं जो सड़ चुकी हैं और इसलिए जागरूक विचलन की आवश्यकता थी। कई परंपराएँ अभी भी वैधानिक परिवर्तनों के बावजूद बनी हुई हैं। दहेज की समस्या दहेज निषेध कानून बनने के बावजूद एक विकराल समस्या के रूप में बनी हुई है। यहां, कानून एक मार्ग प्रदान करता है और केवल कानून प्रवर्तन की मशीनरी के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन आ सकता है जो इस रोग को ठीक करने में सहायक हो सकता है। माफ़ कीजिये, आइए इसे फिर से सही संदर्भ में अनुवाद करते हैं। यदि समाज में अंतर-जातीय विवाहों को तुरंत स्वीकृति नहीं मिलती है, तो ऐसे मामलों में कम से कम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हर अवसर पर उनका समर्थन करने की पहल करनी चाहिए। जो जोड़े प्रेम के बंधन में बंधकर या मोहवश भाग रहे हैं, पुलिस का कर्तव्य है कि वह उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा उन्हें सुरक्षा गृहों में आश्रय देकर या फिर उन लोगों की निवारक गिरफ्तारी करके किया जा सकता है जो उन्हें हानि पहुंचाने की संभावना रखते हैं। इसके साथ ही, पुलिस को खाप पंचायतों के किसी भी अप्रिय फरमान को लागू होने से रोकने की भी जिम्मेदारी है। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अच्छे आचरण के लिखित आश्वासन लेने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, खासकर उन लोगों से जिनमें आपराधिक प्रवृत्तियाँ हों। किसी भी भागे हुए जोड़े का पहला सामना कानून से केवल पुलिस के माध्यम से होता है और यहाँ पर पुलिस को दयालु रवैया अपनाना चाहिए, उनके मामले का समर्थन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और उन्हें सभी साधनों से सुरक्षित रखना चाहिए। यदि पुलिस विफल रहती है, तो परिणाम वही होता है जो इस मामले में इस न्यायालय के सामने प्रस्तुत है।

(पैरा 11)

संपूर्ण जांच को उचित दिशा और उद्देश्य प्रदान करने के लिए, मैं निदेशक महानिदेशक (DGP) को निर्देश देता हूँ कि वह एक विशेष जांच दल (SIT) की स्थापना करें, जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) करें, जो सजग और गहन जांच में दक्ष हों और जिनका दोषसिद्धि के मामलों में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। इस टीम में उनकी सहायता के लिए दो अन्य पुलिस कर्मी भी शामिल किए जाएँ। निर्धारित विशेष जांच दल (SIT) याचिकाकर्ता की जांच करेगा और उसके द्वारा दी गई सूचनाओं का ब्योरा एकत्र करेगा, खासकर उन व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में जिनके बारे में याचिकाकर्ता के पास सूचना हो सकती है और ऐसी सूचनाओं के आधार को लेकर भी। मैं यह निर्देश इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कोई जांच नहीं की गई है, बल्कि इसलिए कि प्रारंभिक जांच में ढिलाई के चलते एक अनमोल जीवन की हानि हुई है। इसीलिए, यदि राज्य की जांच एक उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए, तो इससे जनता का विश्वास बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगा और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि स्थानीय प्रभाव पुलिस कार्यवाही पर हावी न हो पाए। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा और SIT विवरण एकत्रित करेगा और अगली स्थगित तारीख पर किए गए प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करेगा। राज्य को भी उस कार्यवाही के प्रतिसाद के लिए अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी चाहिए जो कार्य सुधार और सिस्टम सुधारों की सुझाव के लिए किए गए होंगे, जिससे 'हॉनर किलिंग' की समस्या का समाधान हो सके। यदि गृह विभाग या पुलिस के पहले से मौजूद निर्देश हैं, तो उन्हें राज्य के वकील के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उन्हें यथास्थिति सुधारा जा सके, अगर आवश्यक हो और यदि पहले से अच्छे हैं, तो उन्हें लागू करने के तरीके विकसित किए जाएँ।

(पैरा 12)

तनु बेदी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

केशव गुप्ता, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

के. कन्नन, न्यायाधीश। (मौखिक)

1. ऑनर किलिंग - एक और घटना

1. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से रजिस्ट्री में जवाब दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया कि जांच का दायित्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपा जाए, जिनका पद सीनियर पुलिस अधीक्षक से कम न हो, क्योंकि मौत का मामला एक "honour killing" थी, जिसे समुदाय ने याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी के बीच हुई शादी के कारण सहन नहीं किया था, और जिसे बाद में मार डाला गया था।

II. पुलिस द्वारा अब तक की कार्रवाई

2. याचिकाकर्ता के साथ विवाह के पश्चात, यह रिपोर्ट किया गया कि उनकी पत्नी को 30 सितंबर 2014 को उनकी (याचिकाकर्ता की) सानिध्य से गुप्त रूप से दूर कर दिया गया था। जब याचिकाकर्ता ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो उन्होंने 11 लोगों के नामों को अपनी पत्नी के अपहरण के लिए प्रमुख संदिग्धों के रूप में सूचीबद्ध किया। महिला की हत्या होने और उसका शव 02 अक्टूबर 2014 को बरामद होने तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तो आईपीसी की धारा 302 और अन्य सम्बंधित धाराओं के तहत मौत का मामला दर्ज किया गया। प्रतिक्रिया से पता चलता है कि 11 संदिग्धों में से 5 के खिलाफ चालान किया गया है और जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत में नामित बाकी 6 लोगों के खिलाफ अभी तक कोई संदिग्ध सबूत या आपराधिक सामग्री अब तक इकट्ठी नहीं की गई है।

III. पति की एसआईटी से नए सिरे से जांच की गुहार

3. याचिकाकर्ता ने यह सवाल उठाया है कि 30 सितंबर 2014 की शिकायत के बाद से 2 अक्टूबर 2014 तक ग्यारह संदिग्धों में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो कि यदि की जाती, तो शायद एक अनमोल जीवन की रक्षा हो सकती थी। इस मुद्दे पर राज्य द्वारा दिए गए जवाब में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। याचिकाकर्ता के वकील ने बड़े उत्साह के साथ यह तर्क दिया कि 'ऑनर किलिंग' जैसे मामले आईपीसी की धारा 302 के तहत आने वाले सामान्य अपराधों से अलग होते हैं और इनकी जांच किसी उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि जांच प्रक्रिया स्थानीय प्रभावों से मुक्त हो और जांच को ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाए जो जनता का विश्वास जगा सके। प्रतिवादियों के वकील ने इन दलीलों का उत्तर यह कहकर दिया कि जांच बड़ी गंभीरता से ली गई है और जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक के हाथों में है और पुलिस ने याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए 6 व्यक्तियों के संबंध में मामले को बंद नहीं किया है। वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने दूसरे लोगों की संलिप्तता को साबित करने के लिए कोई सबूत या मौजूदा सामग्री प्रदान नहीं की है।

IV. सुरक्षा के लिए कोर्ट का प्रारंभिक आदेश

4. 05 फरवरी 2015 को, जब याचिकाकर्ता की जान को खतरे का मुद्दा उठाया गया, तब प्रत्येक पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, मुझे लगा कि परिस्थितियाँ इतनी गंभीर थीं कि राज्य को चेतावनी देनी चाहिए कि यदि याचिकाकर्ता के साथ कोई अनहोनी घटना घटित होती है, तो यह राज्य की ओर से गंभीर लापरवाही और अनादरणीय उपेक्षा का संकेत हो सकता है। याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि आदेश पास होने के बाद उचित सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन जांच की प्रक्रिया में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। अगर राज्य के जवाब से यह संकेत मिलता कि पुलिस अब गंभीरता से कार्य कर रही है और यह गंभीरता यदि उस समय भी थोड़ी बहुत दिखाई देती, जब याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के अपहरण की शिकायत की थी, तो शायद उसकी मौत नहीं होती।

V. कानून आयोग की मान-सम्मान हत्या को दमन करने की सिफारिश"

- मानवों के साथ होने वाला सबसे बड़ा अपमान विडंबनापूर्ण रूप से "ऑनर किलिंग्स" या सम्मान के नाम पर हत्या के माध्यम से आता है। अक्सर इसका ट्रिगर पॉइंट वयस्कों का अंतर-जाति विवाह या एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच विवाह होता है, जिसे समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों के खिलाफ किए गए कार्यों के रूप में देखा जाता है। समूह के दबाव या अपने मूल्यों के प्रणाली के आगे झुककर माता-पिता स्वयं अपने बच्चों के खिलाफ अपराध के अपराधी बन जाते हैं, । स्थानीय समूहों, जिन्हें 'खाप' कहा जाता है, के निर्णय जो माता-पिता से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने बच्चों को त्याग दें या सामाजिक बहिष्कार के फरमान जारी करें, माता-पिता और नजदीकी रिश्तेदारों को एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वे युवा जोड़ों पर अकल्पनीय उपद्रव और गंभीर शारीरिक तथा मानसिक हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। विधि आयोग ने, अपनी 242वीं रिपोर्ट में, जो 22 अगस्त, 2012 को सौंपी गई थी, यह जांचा कि 'ऑनर किलिंग्स' या 'सम्मान के नाम पर हत्या' को कानून की संशोधित प्रावधानों के माध्यम से न्यायालय परीक्षणों में भिन्न तरीके से निपटाना चाहिए और क्या मृत्युदंड देने के लिए उचित औचित्य था। यह उस संदर्भ में था जब सुप्रीम कोर्ट ने **भगवान दास बनाम राज्य (NCT) दिल्ली**¹ मामले में यह निर्णय दिया था कि 'सम्मान के नाम पर हत्या' को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और इसलिए उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। विधि आयोग ने देखा कि व्यक्तियों की हत्या के पीछे का मकसद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत एक अलग प्रावधान को पेश करने के लिए वास्तविक औचित्य प्रदान नहीं करता है, भले ही सरकार ने इस तरह के परिवर्तन पर विचार किया हो। इसके बजाय, उसने पाया कि मूल कारण निरंतर अंतर-जातीय विवाहों और गोत्र विवाहों के विरोध में है, जो 'सम्मान हत्याओं' के लिए होता है और इसके लिए एक विशेष कानून होना चाहिए जो स्थानीय समुदायों में समूह विरोध को शांत करने के लिए एक अलग सेट के सिद्धांतों को पहचाने। इसलिए, उसने 'सम्मान और परंपरा' के नाम पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से बचाव के लिए एक नए कानूनी ढाँचे का सुझाव दिया। अब तक इन सिफारिशों को विधायी आधार पर पुख्ता कर किसी नए कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है।

VI. अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता - पंजीकरण अधिकारी का नकारात्मक दृष्टिकोण

- पंजाब और हरियाणा राज्यों में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण की कोशिश केवल एक तरीके के रूप में प्रचारित की गई थी ताकि विरोध होने पर भी पक्षकार अपने संबंधों को विवाह के माध्यम से और अनिवार्य पंजीकरण के जरिए एक आसान प्रक्रिया द्वारा वैध बना सकें। सामान्य परिस्थितियों में, यह उन युवा जोड़ों को बहुत चाहिए वाली राहत प्रदान करनी चाहिए थी जो अपनी जान के डर से भाग रहे होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, यह उपाय उन युवा जोड़ों के लिए बहुत आवश्यक राहत प्रदान करता जो अपनी जान के डर से भाग रहे होते हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसा होता नहीं दिखा, जैसा कि हमारे अदालतों के अनुभव से पता चलता है। पंजीकरण अधिकारी विवाहों का पंजीकरण ही नहीं करते। जब जोड़े पंजीकरण कार्यालय में आते हैं और यह साबित करने के प्रमाण पेश करते हैं कि वे शादीशुदा हैं और यह भी दिखाते हैं कि वे वयस्क हैं, जो विवाह के अनुबंध में प्रवेश करने के योग्य हैं, तो पहली बाधा स्वयं पंजीकरण अधिकारी से आती है जो इस पर जोर देता है कि पति-पत्नी के माता-पिता भी गवाह के रूप में उपस्थित हों। जब माता-पिता ही मुख्य आक्रामक हों और जोड़ा उनसे भाग रहा हो, तो पंजीकरण अधिकारियों का उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने पर जोर देना वास्तव में सोच-समझ के बिना आत्म-विनाश को आमंत्रित करना है। इस अदालत ने कई बार पंजीकरण अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे जोड़ों को माता-पिता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विवश किए बिना विवाहों का पंजीकरण करें। मैंने भी 'भूपिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य-सीडब्ल्यूपी नं० 22586 / 2014, दिनांक 12.01.2015' के निर्णय को सभी पंजीकरण अधिकारियों में प्रसारित करने के निर्देश दिए थे ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। पंजीकरण अधिकारी अभी भी सबक नहीं सीख पा रहे हैं और खाप पंचायतों के साथ खुद

¹ AIR 2011 SC 1863

को खुशनुमा संगति में देखते हुए, पंजीकरण अधिकारी अंतर-जातीय वैवाहिक बंधनों के खिलाफ अपनी प्रवृत्तियों को लागू करने की समान दुर्भावनापूर्ण प्रेरणा से प्रेरित होते हैं।

VII. न्यायालय की नीतियों से क्षरण पर रोक नहीं लगी है।

7. यदि कानून सहायता नहीं कर सकता और यदि पंजीकरण अधिकारी भी मदद नहीं कर पा रहा है, तो हमारे अपने न्यायिक दृष्टिकोण जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की घोषणाओं के माध्यम से प्रकट हुए हैं, वे भी इस प्रक्रिया में सहायता नहीं कर पाए हैं। इन गंभीर विकृतियों को रोकने के लिए कोई समन्वित प्रयास विकसित नहीं हो पाया है। **अमनिंदर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**² इस अदालत ने यह निर्णय दिया कि यदि जोड़े में से एक नाबालिग है और माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर चुके हैं, तो अदालत किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। **कीर्ति गोयल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**³ में, अदालत ने उस जोड़े को याद दिलाया, जो भाग रहे थे, कि "व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण का सह-अस्तित्व समाज की सतत प्रगति के लिए अनिवार्य है, साथ ही साथ संवैधानिक दर्शन का अभिन्न अंग भी है।" अदालत ने सलाह दी कि "उम्मीद की जाती है कि जोड़े और उनके जैसे अन्य युवा नागरिक इस प्रकार के 'विद्रोही विवाहों' के लिए अपने घरों से भागने से पहले दो बार सोचेंगे, इसके अलावा, अपने-अपने माता-पिता की बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो उनके दुश्मन नहीं बल्कि असली हितैषी होते हैं।" अदालत ने सामाजिक नियंत्रण के लिए उच्च सम्मान रखते हुए कहा, "सामाजिक बदलाव और विकास के प्रति सजग रहें लेकिन यह सब सामाजिक नियंत्रण और नैतिक मूल्यों के अधीन हो, जो कि सदियों से हैं और जिनकी चमक आज भी बरकरार है।" कोई यह पूछने के लिए प्रलुब्ध हो सकता है, यदि बच्चों को माता-पिता की बात सुननी चाहिए, तो क्या इसमें माता-पिता के उन आपत्तियों को भी सुनना शामिल है जो पुराने मूल्यों को बनाए रखने के लिए होती हैं और जो जाति प्रथा को बनाए रखेगी? एक अन्य निर्णय में, **संदीप कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**⁴ में, इस अदालत को चिंता थी कि वह लड़की जो अपने माता-पिता की इच्छाओं के विपरीत उस आदमी के साथ भागने को तैयार थी जिसने उससे विवाह किया था, कम से कम साधन संपन्न व्यक्ति हो। इसलिए, अदालत ने निर्देश दिया कि लड़के को अपनी सद्भावना और वित्तीय स्थिरता दिखानी चाहिए और लड़के से एक प्रतिज्ञान पत्र लेना चाहिए कि वह अपनी पत्नी के नाम पर 5 लाख रुपए जमा करेगा। लड़के ने प्रतिज्ञान पूरा नहीं किया और अदालत ने देखा कि विवाह एक प्रतिबद्धता है जो केवल "पॉपकॉर्न साझा करने, फिल्में देखने और डिनर डेट पर जाने" से कहीं अधिक है। अदालत ने पुलिस को लड़के के चरित्र और पूर्ववृत्त की जांच करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने और अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इन सभी न्यायिक तरीकों से 'ऑनर किलिंग' के जरिए हमले और शारीरिक विनाश के खतरे में पड़े भागे हुए जोड़ों के मामले में मदद नहीं मिली है और न ही उनकी संवेदनशीलता को कम किया गया है।

VIII. जाति-विवाह - जाति भेदभाव के नाश की दिशा में एक कदम। विवाहित विज्ञापनों में जाति पसंद का प्रकाशन - घृणित प्रथा।

8. समाज का सुव्यवस्थित परिवर्तन केवल कानून के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि कानून सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है जो सामाजिक मान्यताओं को आकार और दिशा प्रदान करता है। यदि 'ऑनर किलिंग' के लिए कठोर सजाएँ भी उन्हें रोक नहीं पाई हैं, यदि न्यायिक प्रक्रियाओं ने भी उनकी घटनाओं को कम नहीं किया है और पुलिस केवल मौन दर्शक बनी रहती है, या फिर सक्रिय रूप से सहयोगी नहीं बनती, तो हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ हम इन 'ऑनर किलिंग' को अनिवार्य

² 2010 (1) RCR (civil) 191

³ 2012 (3) RCR (criminal) 172

⁴ 2014 (1) RCR (civil) 1015

और अत्यंत लज्जाजनक तथा घिनौनी घटनाएँ मानने लगेंगे। समाज को यह समझना चाहिए कि यदि हम एक वयस्क की इस स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर सकते कि वह अपने साथी को चुन सके, चाहे विवाह के साथ हो या बिना, तो हमारे नीति निर्माताओं द्वारा सुरक्षित की गई सभी आर्थिक प्रगति और विकासात्मक लक्ष्यों को कचरे में डाल दिया जाएगा। मानव के रूप में हमारा विकास क्रमिक रहा है और ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कोई भी जाति या समुदाय दूसरे से श्रेष्ठ है। किसी व्यक्ति को जन्म स्थान, रंग, भाषा या धर्म के आधार पर हीन नहीं समझा जा सकता।

9. एक महान सामाजिक चिंतक और भारतीय संविधान के शिल्पकारों में से एक श्री बी.आर. अंबेडकर ने एक भाषण के लिए लिखा था जिसे वह खुद नहीं दे सके और इसलिए उन्होंने इसे मुद्रित रूप से प्रकाशित करने का चुनाव किया कि,

“मैं इस बात का पूर्ण रूप से आश्चर्य हूँ कि दलितों के प्रति अन्याय के खिलाफ वास्तविक समाधान अंतर्जातीय विवाह है। केवल रक्त का मिश्रण ही रिश्तेदारी की भावना पैदा कर सकता है, और जब तक यह रिश्तेदारी की भावना, कि हम एक हैं, प्रधान नहीं बनती, तब तक जातिगत भेदभाव द्वारा निर्मित पृथक्तावादी भावना - अजनबी होने की भावना - खत्म नहीं होगी। हिंदुओं के बीच, अंतरजातीय विवाह सामाजिक जीवन में अधिक प्रभावी कारक होना चाहिए जितना कि यह गैर-हिंदुओं के जीवन में हो सकता है। जहां समाज पहले से ही अन्य संबंधों से अच्छी तरह से बुना जा चुका है, वहां विवाह जीवन की एक सामान्य घटना है। लेकिन जहां समाज विभाजित हो गया है, वहां विवाह एक संबंध बनाने की ताकत बन जाती है और जिसकी तत्काल आवश्यकता है। जाति को तोड़ने का असली उपाय अंतरजातीय विवाह है। और कुछ भी जाति के विलय का काम नहीं करेगा।” (जाति का उच्छेदन, नवयान प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड-2014)।”

हम अंतर-जातीय शादियों के समर्थन से ही समाज में अच्छे बदलाव की आशा कर सकते हैं। यह दुःख की बात है कि विवाह के लिए अखबारों के विज्ञापन में खुलेआम उच्च जाति को तरजीह दी जाती है। प्रकाशन संस्थानों को यह सिद्धांतिक निर्णय लेना चाहिए कि वे अपने विज्ञापन स्तंभों को जाति के इस प्रकटीकरण से दूषित न होने दें, चाहे इससे उन्हें आर्थिक नुकसान ही क्यों न हो।

IX. पुलिस और राज्य के लिए दिशानिर्देश

10. हर पुलिस जिले में एक अलग सेल होनी चाहिए जो उन जोड़ों से शिकायतें स्वीकार करे जिन्हें अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और खापों से शारीरिक समाप्ति का डर हो। पुलिस को वयस्क जोड़ों को जबरदस्ती उनके माता-पिता के पास नहीं भेजना चाहिए यदि जोड़ों में से कोई भी शारीरिक हानि की आशंका करता है। पुलिस को उन हर गाँव या गाँवों के समूह में, जहाँ 'honour killing' की घटनाएँ ज्यादा होती हैं, उन्हें "लोगों के मित्र" की एक फौज तैयार करनी चाहिए जो प्रगतिशील सोच वाले लोगों में से हो, ताकि उन्हें भावनात्मक सहारा और सलाह दी जा सके। पुलिस को जब भी कोई शिकायत मिलेगी, वह उन लोगों को सक्रिय करेगी जो गाँव में उत्पन्न तनाव को कम करने का कार्य करेंगे। पुलिस और जनता के बीच संबंधों में बढ़ती खाई को देखते हुए, पुलिस को लोगों से जुड़े रहना चाहिए, न केवल कानूनी कार्रवाई के लिए बल्कि सद्भाव और अच्छी इच्छा को भी बढ़ावा देने के लिए। जिस मामले में ऑनर किलिंग की आशंका हो, उसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए जिसकी रैंक कम से कम पुलिस उपाधीक्षक हो और जो पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करे। हरियाणा गृह विभाग के सचिव, तत्काल सभी उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाएंगे और ऑनर किलिंग के मामलों की जांच और अभियोजन के लिए सक्षम व्यक्तियों के लिए एक स्वीकार्य प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। प्रस्तावित कार्रवाई में ऐसी व्यवस्था होगी जिससे उस पुलिस अधिकारी की जवाबदेही का पता लगाया जा सके जिसकी लापरवाही से सम्मान हत्या में योगदान रहा हो। यदि प्राचीन रीति-रिवाज वयस्कों को विवाह साथी चुनने की स्वतंत्रता से वंचित करते हैं, तो उन्हें अनाकर्षक माना जाना चाहिए और उनका संविधान की भावना में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को पनपने की अनुमति मिल सके। यदि खाप पंचायतें या माता-पिता विरोध करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत पसंद के आगे झुकना होगा,

जिन्हें सूचित वयस्कों के परिपक्व निर्णयों के रूप में माना जाना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियां पहले व्यक्ति होने चाहिए जो सामाजिक कल्याण के कानूनों का सकारात्मक रूप से समर्थन करें।

X. कानून का मार्च - पाठ्यक्रम सुधार के लिए आवश्यक दिशा

11. कानून का विकास उन मौजूदा प्रथाओं को मान्यता देने का काम करता है जो सामाजिक रूप से परंपरा के रूप में स्वीकार्य होती हैं और इस तरह से ये प्रथाएँ स्वयं कानून के स्रोत बन जाती हैं। परिणामस्वरूप, इन प्रथाओं को विधायी प्रावधानों के माध्यम से सुदृढीकरण द्वारा वैधानिक अनुमोदन प्राप्त होता है। उत्तराधिकार, संरक्षण, गोद लेने आदि के कानून कुछ परंपरागत प्रथाएँ हैं जिन्हें कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। हालांकि, सभी परंपराओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। जब भी हमने पाया कि परंपराएँ सामाजिक उन्नति के मार्ग में बाधा बन रही हैं, हमने जानबूझकर उनसे विचलन किया है। उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पैतृक संपत्ति के संबंध में भी महिलाओं को समान अधिकारों की प्रदान, पारस्परिक सहमति से तलाक की अनुमति, हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय तलाक अधिनियम में संशोधन करके, या बाल न्याय अधिनियम के अनुसार मुस्लिम और ईसाइयों के लिए गोद लेने के प्रावधानों को लागू करना - ये सभी विधायी क्रियाएँ हैं जिन्होंने उन पुरानी परंपराओं से नई दिशा में कदम बढ़ाए हैं जो सड़ चुकी हैं और इसलिए जागरूक विचलन की आवश्यकता थी। कई परंपराएँ अभी भी वैधानिक परिवर्तनों के बावजूद बनी हुई हैं। दहेज की समस्या दहेज निषेध कानून बनने के बावजूद एक विकराल समस्या के रूप में बनी हुई है। यहां, कानून एक मार्ग प्रदान करता है और केवल कानून प्रवर्तन की मशीनरी के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन आ सकता है जो इस रोग को ठीक करने में सहायक हो सकता है। माफ़ कीजिये, आइए इसे फिर से सही संदर्भ में अनुवाद करते हैं। यदि समाज में अंतर-जातीय विवाहों को तुरंत स्वीकृति नहीं मिलती है, तो ऐसे मामलों में कम से कम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हर अवसर पर उनका समर्थन करने की पहल करनी चाहिए। जो जोड़े प्रेम के बंधन में बंधकर या मोहवश भाग रहे हैं, पुलिस का कर्तव्य है कि वह उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा उन्हें सुरक्षा गृहों में आश्रय देकर या फिर उन लोगों की निवारक गिरफ्तारी करके किया जा सकता है जो उन्हें हानि पहुंचाने की संभावना रखते हैं। इसके साथ ही, पुलिस को खाप पंचायतों के किसी भी अप्रिय फरमान को लागू होने से रोकने की भी जिम्मेदारी है। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अच्छे आचरण के लिखित आश्वासन लेने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, खासकर उन लोगों से जिनमें आपराधिक प्रवृत्तियाँ हों। किसी भी भागे हुए जोड़े का पहला सामना कानून से केवल पुलिस के माध्यम से होता है और यहाँ पर पुलिस को दयालु रवैया अपनाना चाहिए, उनके मामले का समर्थन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और उन्हें सभी साधनों से सुरक्षित रखना चाहिए। यदि पुलिस विफल रहती है, तो परिणाम वही होता है जो इस मामले में इस न्यायालय के सामने प्रस्तुत है।

XI. SIT गठित की गई है; पुलिस को प्रगति और उठाए गए कदमों की रिपोर्ट करनी है।

12. संपूर्ण जांच को उचित दिशा और उद्देश्य प्रदान करने के लिए, मैं निदेशक महानिदेशक (DGP) को निर्देश देता हूँ कि वह एक विशेष जांच दल (SIT) की स्थापना करें, जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) करें, जो सजग और गहन जांच में दक्ष हों और जिनका दोषसिद्धि के मामलों में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। इस टीम में उनकी सहायता के लिए दो अन्य पुलिस कर्मी भी शामिल किए जाएं। निर्धारित विशेष जांच दल (SIT) याचिकाकर्ता की जांच करेगा और उसके द्वारा दी गई सूचनाओं का ब्योरा एकत्र करेगा, खासकर उन व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में जिनके बारे में याचिकाकर्ता के पास सूचना हो सकती है और ऐसी सूचनाओं के आधार को लेकर भी। मैं यह निर्देश इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कोई जांच नहीं की गई है, बल्कि इसलिए कि प्रारंभिक जांच में ढिलाई के चलते एक अनमोल जीवन की हानि हुई है। इसीलिए, यदि राज्य की जांच एक उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए, तो इससे जनता का विश्वास बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगा और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि स्थानीय प्रभाव पुलिस कार्यवाही पर हावी न हो पाए।

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा और SIT विवरण एकत्रित करेगा और अगली स्थगित तारीख पर किए गए प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करेगा। राज्य को भी उस कार्यवाही के प्रतिसाद के लिए अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी चाहिए जो कार्य सुधार और सिस्टम सुधारों की सुझाव के लिए किए गए होंगे, जिससे 'हॉनर किलिंग' की समस्या का समाधान हो सके। यदि गृह विभाग या पुलिस के पहले से मौजूद निर्देश हैं, तो उन्हें राज्य के वकील के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उन्हें यथास्थिति सुधारा जा सके, अगर आवश्यक हो और यदि पहले से अच्छे हैं, तो उन्हें लागू करने के तरीके विकसित किए जाएं।

13. उपरोक्त निर्देशों के साथ यह रिट याचिका निपटाई जाती है।

14. 07.04.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा